No 1/6/2017-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांक: 25 जूलाई, 2017

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 5.7..2017 को 15:00 बजे सम्पन्न 97वीं बैठक मे हुइ चर्चा का कार्यवृत्त

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 97वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 5.7..2017 को 15:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(के.डी. बंसौर)श्रीमती
निदेशक

97वीं बैठक की कार्यवृत की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध मे जानकारी प्रत्येक संबधित एकक/कार्यालय द्वारा दिनांक 10.8.2017 तक अवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. निदेशक (अनुसंधान एकक–III & IV)
2. उप सचिव (अनुसंधान एकक– I & II)
3. अवर सचिव (समन्वय एवं अनुसंधान एकक– IV)
4. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)/ सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I & II)

प्रतिलिपि: 97वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित:

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 97वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/6/2017–समन्वय)

दिनांक : 5.7.2017 समय : 15.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय. अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

सहभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
4. श्री राघव चंद्रा, सचिव
5. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
6. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
7. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
8. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्य सूची मद सख्या 1	"अनुदानित ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराए गए लघु अवधि फसल ऋण पर क्षेत्रीय ग्रमीण बैकों और सहकारी बैंकों को पुनार्वित करने के लिए लोक क्षेत्रक बैंको (पीएसबी), निजी क्षेत्र बैंको, सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और नाबार्ड को ब्याज आर्थिक सहायता पर ड्राफ्ट केबिनेट नोट के संबंध में।
Agenda Item No. 1	**Draft note for the Cabinet on "Interest Subvention to Public Sector Banks (PSBs), Private Sector Banks, Cooperative Banks and Regional Rural Banks (RRBs) and to NABARD for refinance to RRBs and Cooperative Banks on Short-Term crop loan provided to farmers at subvented interest rate-regarding.**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र सं0 17014/2/2017– लिवलीहुड दिनांक 25.05.2017 द्वारा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ड्राफ्ट नोट केबिनेट सं0 1–3/2017–क्रेडिट–1 दिनांक 15.5.2017 "अनुदानित ब्याज दर पर

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किसानों को उपलब्ध कराए गए लघु अवधि फसल ऋण पर क्षेत्रीय ग्रमीण बैकों और सहकारी बैंकों को पुनार्वित करने के लिए लोक क्षेत्रक बैंको (पीएसबी), निजी क्षेत्र बैंको, सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और नाबार्ड को ब्याज आर्थिक सहायता पर", टिप्पणी हेतु आयोग को प्रेषित किया हैं।

परिचय एवं पृष्ठभूमि

1.2 किसानो को लधु अवधि कृषि क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज अनुदान स्कीम को वर्ष 2017–18 मे जारी रखने हेतु ड्राफ्ट केबिनेट नोट प्रस्तुत किया गया है। ब्याज अनुदान स्कीम किसानों को रियायती ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 2006–07 में शुरू हुई थी। स्कीम के लागू होने से ही बैंकिंग क्षेत्र द्वारा लघु अवधि फसल ऋण वितरण करने के कारण ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीसीएल) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जीसीएल के वितरण में प्रगति में 2006–07 से 2016–17 तक लघु अवधि फसल ऋण शामिल है।

1.3 वित्त मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य को जानते हुए वार्षिक आधार पर कृषि क्रेडिट बहाव लक्ष्य घोषित किए जाते हैं। तत्पश्चात् कार्यान्वयन विभाग द्वारा लघु अवधि फसल ऋणों पर ब्याज अनुदान के लिए निधियों के आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। यह स्कीम पूर्व में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा गैर–योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाती थी और 2016–17 में इसे इसी रूप में कार्यान्वित करने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं एफडब्ल्यू) को स्थानान्तरित किया गया। तथापि, 2017–18 से इस स्कीम को डीएसी एवं एफडब्ल्यू द्वारा योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाना है।

प्रस्ताव

1.4 वर्ष 2017–18 के लिए ब्याज अनुदान स्कीम पूर्व में डीएफएस के अन्तर्गत यथाप्रचालित रूप में इस स्कीम की लीक पर तैयार की गई है और पिछले वर्ष अर्थात् 2016–17 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वयन के लिए यथा अनुमोदित रूप में तैयार की गई है। साथ ही वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं0 12/4/2016–एसी द्वारा स्पष्ट किया है कि वर्ष 2017–18 के लिए 10 लाख करोड़ रूपए की बजटीय घोषणा में से 6,80,000 करोड़ रूपए की राशि लघु अवधि फसल ऋण के प्रयोजन के लिए है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

लाभार्थी विवरण

1.5 प्रस्तावित ब्याज अनुदान के लिए प्रमुख अनुमान एवं वित्तीय गणनाएं वर्ष 2017–18 में लघु अवधि फूसल ऋण के लिए कृषि क्रेडिट लक्ष्य पर आधारित हैं, जो निम्नवत है।

(रू. करोड में)

लोक क्षेत्र बैंक (पीएसबी)	3,39,000
निजी क्षेत्र व्यापारिक बैंक	50,000
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	1,06,000
सहकारी बैंक	1,31,000
कुल लघु अवधि क्रेडिट	6,80,000

वर्ष 2017–18 के लिए डीएसी एवं एफडब्ल्यू के आंतरिक वित्त विभाग ने निम्नवत विभिन्न समूह के लिए आवटंन किया।

क्र. सं.	श्रेणी	आवंटन (रूपए करोड़ में)
1.	सामान्य	10,233
2.	अनुसूचित जाति (अ.जा.)	2,187
3.	अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)	1,080
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)–सामान्य	1,137
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)–अ.जा.	243
6.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)–अ.ज.जा.	120
	कुल	15,000

1.6 ब्याज अनुदान स्कीम (आईएसएस) का मूल उद्देश्य, सभी किसानों को और विशेष रूप से लघु सीमांत किसानों, जो देश में कुल प्रचालन का 85 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं परन्तु उनके द्वारा जोती जाने वाली कृषि भूमि 46 प्रतिशत है, को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है। लघु सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही है कि ब्याज रियायत केवल 3 लाख रूपए तक लघु अवधि फसल ऋण पर सीमित है। किसी अन्य श्रेणीकरण का परिणाम लघु सीमांत किसानों से संसाधनों को दूर ले जाना होगा और उसकी समय कोई गारंटी नहीं है कि इसका हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1.7 क्रेडिट, किसानों के स्तर पर कृषि उत्पादन प्रक्रिया में एक समर्थ घटक के रूप में काम करता है। कृषि उत्पादन प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण आगम है। यह लिंक अप्रत्यक्ष है क्योंकि यह खाद, बीजों आदि के सम्मान आगमों (और संसाधनों) पर नियंत्रण उपलब्ध करवाता है। लघु अवधि क्रेडिट और निवेश क्रेडिट दोनों ही रियायती आईएसएस में योगदान करते हैं व किसानों को उच्चतर उत्पादकता के लिए उत्पादन प्रणाली में निवेश करवाने के अलावा सामूहिक संस्थानिक क्रेडिट के रूप में रियायती कृषि क्रेडिट के प्रति उनकी पहुंच को उपलब्ध करवा कर प्रेरित करने के माध्यम हैं। नाबार्ड ने फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान स्कीम पर 2016 में एक अखिल भारतीय अध्ययन किया है जो सिफारिश करता है कि ब्याज अनुदान स्कीम को कृषि के प्रति ग्राउंड लेवल क्रेडिट की वृद्धि दर पर इसके साकारात्मक प्रभाव और महत्वपूर्ण आगमों (बीजों, खादों, कीटनाशकों इत्यादि) के उपयोग में वृद्धि के दृष्टिकोण से जारी रखा जाना चाहिए। यह अध्ययन यह भी बताता है कि यह देश में प्रमुख फसलों की बेहत्तर उपज एवं उत्पादन की ओर ले गया है। आईएसएस और अधिक किसानों को संस्थानिक क्रेडिट के समूह में लाने में कारगर रहा है। लघु सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए लक्ष्यों को सुधारने हेतु सरल उपायों/विकल्पों का सुझाव देने के लिए अक्टूबर, 2015 में गठित सारंगी समिति ने भी मार्च, 2016 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ब्याज अनुदान स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की है।

1.8 ड्राफ्ट केबिनेट नोट पैरा 7 के खण्ड (i) में उल्लेख हैं, "वर्ष 2017–18 में एक योजना स्कीम के रूप में ब्याज अनुदान स्कीम लागू करने के लिए परन्तु निधियों के श्रेणीवार अर्थात सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., पूर्वोत्तर–सामान्य, पूर्वोत्तर–अ.जा., पूर्वोत्तर–अ.ज.जा. के बिना"।

1.9 उपरोक्त ड्राफ्ट केबिनेट नोट पर विस्तृत विवेचना के बाद, आयोग ने प्रस्ताव का, इस शर्त के साथ कि अनुसूचित जनजातियो के किसी भी कृषक का प्रकरण उपरोक्त व्यवस्था के कारण अमान्य नही किया जाएगा तथा इस आशय का पर्याप्त प्रचार किया जाएगा, समर्थन किया।

[After detailed discussions on the above Draft Cabinet Note, the Commission agreed with the proposal with the condition that applications of farmer belong to Scheduled Tribes will not be rejected on the grould of insufficient fund and adequate publicity will be given in this regard].

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद सख्या 2	केन्द्र सरकार के एक उपक्रम अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर, के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) /स्वैच्छिक पृथककरन स्कीम (वीएसएस) पैकेज का प्रस्ताव करते हुए बंद करना तथा चल/अचल परिसम्पत्तियों की नीलामी और बकाया दायित्वों के परिसमापन के लिए आर्थिक मामलो की केबिनेट समिति के लिए नोट के संबंध में टिप्पणियां।
Agenda Item No. 2	**Note for the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on closure of Andaman & Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair a Central Government undertaking offering Voluntary Retirement Scheme (VRS)/Voluntary Separation Scheme (VSS) package for their employees, auction of movable/immoveable assets and liquidation of outstanding liabilities-comments regarding**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र सं0 17014/2/2017– लिवलीहुड दिनांक 25.05.2017 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2–5/2003–एस.यू (वोल.X) दिनांक 15.5.2017 के साथ "केन्द्र सरकार के एक उपक्रम अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर, के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) /स्वैच्छिक पृथककरन स्कीम (वीएसएस) पैकेज का प्रस्ताव करते हुए बंद करना तथा चल/अचल परिसम्पत्तियों की नीलामी और बकाया दायित्वों के परिसमापन के लिए" नोट फॉर केबिनेट कमेटी ऑन इकोनोकमिक अफेयरस, टिप्पणी हेतु आयोग को भेजा है।

पृष्ठभूमि

2.2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड, भारत सरकार का लोक क्षेत्र उपक्रम, द्वीप समूहों में वन्य वृक्षारोपणों के विकास एवं प्रबन्ध करने के व्यापक उद्देश्यों के साथ, वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड क्रमशः वन्य परियोजना, रेड ऑयल पाम परियोजना (आरओपी) एवं कटचल रबड़ परियोजना (केआरपी) मुख्य तीन परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। निगम के वन्य संचालन मुख्य उत्प्रेरक थे और कुल राजस्व का लगभग 75 प्रतिशत योगदान देते थे। देश में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1979 में रेड ऑयल पाम परियोजना प्रारंभ की गई तथा कटचल द्वीप समूह में श्रीलंका के देशप्रत्यावर्तित/प्रतिवेशियो के पुनर्वास के लिए एक कल्याणकारी परियोजना के रूप में कटचल रबड़ परियोजना वर्ष 1967 में स्थापित की गई और दिनांक 01.04.1983 को निगम में स्थानान्तरित की गयी। इन सभी परियोजनाओं में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए द्वीपों की दूरी होने सहित विभिन्न बाधाओं के कारण हानि होने की गतिविधियां बनी हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड में दिनांक 31.03.2017 तक कुल 836 कर्मचारी हैं।

2.3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 600 लाख रूपए प्राधिकृत अंश पूंजी तथा 359 लाख रूपए की प्रदत पूंजी के साथ हुई। वन महानिदेशक तथा विशेष सचिव (डीजीएफ एंड एसएस), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) और उप राज्यपाल अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा रखे गए प्रत्येक के एक शेयर को छोड़कर भारत के राष्ट्रपति सभी शेयर धारण करते हैं।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2.4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड (एएनआईएफपीडीसी लिमिटेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के अंतर्गत एक केन्द्रीय सरकार उपक्रम को बंद करने के लिए वर्तमान प्रस्ताव आर्थिक कार्य केबिनेट समिति के अनुमोदन की मांग करता है। नीति आयोग से दिनांक 8 सितम्बर, 2016 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि एएनआईएफपीडीसीएल, के संबंध में एमओईएफ एंड सीसी मामले की जांच और या तो बंद करने के लिए प्रस्ताव आगे किया जाएगा अथवा नीति आयोग के साथ चर्चा की जाएगी, यदि उनके विचार अलग हैं। नीति आयोग ने मामले में अपने विचार देने के लिए एमओईएफ एंड सीसी से अनुरोध किया था। माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के अनुमोदन से, मंत्रालय ने पत्र दिनांक 1.11.2016 द्वारा नीति आयोग को सूचित किया कि मंत्रालय दृश्य व्यवहार्य विकल्पों के अभाव में निगम को बंद करने के लिए नीति आयोग के फैसलों का समर्थन करता है। नीति आयोग ने मंत्रालय को सीपीएसई को बंद करने के लिए इसके औपचारिक प्रस्ताव को केबिनेट के लिए आगे करने का सुझाव दिया।

2.5 वर्ष 2001–02 के दौरान, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2001 और 07.05.2002 के अपने आदेश द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों से लकड़ी की कटाई करने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्व का मुख्य हिस्सा, कुल कारोबार का लगभग 75 प्रतिशत, वन्य परियोजना के अंतर्गत लकड़ी को काटकर एवं बेचकर योगदान दिया जा रहा था। पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने से राजस्व का उपरोक्त स्रोत रूक गया जिससे निगम के भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन प्रतिकुल रूप से प्रभावित हुआ और यह उत्तरोत्तर रूप से एक हानिकर उपक्रम बन गया। यहां तक कि निगम के अनिवार्य खर्चे, जैसे कि वेतन के भुगतान इत्यादि वर्ष 2003–04 से भारत सरकार से प्रत्येक वर्ष ब्याज वाले ऋण के माध्यम से ही संभव होते थे।

2.6 नीति आयोग ने कुल 74 कमजोर एवं हानिकर सीपीएससी के मामलों पर विचार किया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर सहित कुल 26 सीपीएसई को बंद करने के लिए पीएमओ को अपनी सिफारिश की। नीति आयोग ने मामले में अपना विचार देने के लिए एमओईएफ एंड सीसी से अनुरोध किया। माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से, मंत्रालय ने नीति आयोग को सूचित किया कि मंत्रालय दृश्य व्यवहार्य विकल्पों के अभाव में निगम को बंद करने के लिए नीति आयोग के फैसले का समर्थन करता है। नीति आयोग ने मंत्रालय को लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीपीएससी को बंद करने के लिए केबिनेट के औपचारिक प्रस्ताव को आगे करने की सलाह दी।

2.7 उपरोक्त आर्थिक मामलो की केबिनेट समिति के लिए नोट पर विस्तृत विवेचना के बाद, आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

[After the detailed discussions the Commission agreed with the above draft Note for Cabinet Committee on Economic Affairs].

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं. 3	आदिवासी नाबालिग लड़की पर श्री जवदेव मन्ना द्वारा गंभीर अत्याचार– श्री अजीत कुमार दास, प्रफुल्ल चाकी पथ, सिटी सेंटर, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का अभ्यावेदन।
Agenda Item No. 3	**Serious atrocities on Tribal minor Girl by Sh. Javdeb Manna- representation from Shri Ajit Kumar Das, Prafulla Chaki Path, City Center, Durgapur, West Bengal .**

3.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अ. शा. पत्र सं0 PS to MTA/13/37/2017 दिनांक 02.06.2017 के साथ श्री जयदेव मन्ना द्वारा आदिवासी नाबालिग लड़की पर गंभीर अत्याचारों से संबंधित श्री अजित कुमार दास, प्रफुल्ल चाकी पथ, सिटी सेंटर, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) का दिनांक 16.05. 2017 का अभ्यावेदन प्रेषित किया।

3.2 आयोग ने दिनांक 12.06.2017 नोटिस द्वारा मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को मामले में तथ्यो सहित की गई कार्यवाही को 15 दिनों के अंदर प्रेषित करने को कहा। पश्चिम बंगाल सरकार से उत्तर/रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3.3 उपरोक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई तथा यह निश्चित किया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से मामले मे की गई कार्यवाही सूचना 15 दिन के अंदर भेजने का आग्रह किया जाए।

3.4 घरेलू कार्य करने वाले अनुसूचित जनजातियो के पुरूषो तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारो के विषय को आयोग ने गंभीर विषय बताया। इस संबध मे सभी राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशो को मानव तस्करी तथा घरेलू कार्य करने वाले अनुसूचित जनजातियो पर हो रहे अत्याचारो को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निश्चय किया गया। तय किया गया कि 18 वर्ष से कम के अनुसूचित जनजातियो के युवक/युवतियो को घरेलू कार्य मे नही लगाया जाए तथा उससे अधिक उम्र वालो के बावत उनको प्रदाय किया जा रहा वेतन/सुविधाओ बावत निकटतम थाने या श्रम विभाग को सूचना दी जाए जिससे यह विदित हो कि उनके शोषण के कोई मंशा नही है।

[The Commission treated the matter of atrocity on the man and women of Scheduled Tribes doing domestic work as a serious matter. The Commission decided to issue guidelines to prevent atrocities on Scheduled Tribes domestic workers and human trafficking to all the States and union territories. It was agreed that youth of the age of less than 18 years of Scheduled Tribes should not be engaged in domestic work. In the case of persons above the age of 18 years' the nearest police station or labour department may be informed about the wages/facilities being given to them, so that it can be construed that there is no intension to exploit them].

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 4	पशुओं के प्रति क्रूरता का रोकथाम अधिनियम, 1960 के संशोधन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2017 का प्रारूप पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पशु कल्याण विभाग) के दिनांक 15.06.2017 कार्यालय ज्ञापन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियों/सुझावों के लिए।
Agenda Item No. 4	**Draft Prevention of Cruelty to Animals (Amendment Bill 2017 to to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 received from the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Animal Welfare Division) vide OM dated 15.6.2017 for comments/suggestions of the NCST.**

पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2016 पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का केबिनेट नोट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं0 15025/1/2016–सी एण्ड एलएम–II दिनांक 11.08.2016 द्वारा प्राप्त हुआ था।

4.2 आयोग की 88वीं बैठक दिनांक 23.08.2016 की कार्यसूची मद संख्या–II मे उपरोक्त मुद्दे पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पत्र सं0 33/2/2016/आर.यू–IV दिनांक 19.09.2016 द्वारा उक्त बैठक की चर्चा का संक्षिप्त अभिलेख, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रेषित किया। आयोग विधेयक के समर्थन से सहमत हुआ तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों के सुरक्षण के लिए समुचित रूप से प्रस्तावित विधेयक में निम्नलिखित को जोड़ने/अंतःस्थापित करने का सुझाव दिया:–

> "परन्तु यह कि धर्म द्वारा विहित तरीके से या प्रथाओं के अंतर्गत पारम्परिक रूप से व्यवहृत या संस्कृति के एक भाग के रूप में अनुसूचित जनजातियों द्वारा इस प्रकार के आयोजन को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/संबंधित समुदाय के मुखिया से पूर्व सहमति से आयोजित करना होगा और इनके द्वारा समुचित रूप से अनुवीक्षण किया जाना होगा।"

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपरोक्त सुझावों को देखते हुए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुख्य अधिनियम की धारा 27 के उप धारा (ग) में उपरोक्त सुझावों को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया जो निम्नलिखित है:–

> (ग) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी समुदाय द्वारा किया गया कोई आयोजन जो कि उनके धर्म या प्रथा या उनकी संस्कृति के एक भाग के रूप में व्यवहृत है जिसमें पशुओं को प्रदर्शित किया जाता है या पशुओं को प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है।
>
> परन्तु यह कि ऐसे आयोजन :
>
> (i) ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या संबंधित समुदाय के मुखिया, जैसा भी मामला हो, के पूर्व अनुमोदन से निष्पादित किए जाते हों; और
>
> (ii) ऐसी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या संबंधित समुदाय के मुखिया द्वारा इस प्रकार अनुवीक्षण किया जाता हो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।"

Shri Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परन्तु यह भी कि ऐसे आयोजन के दौरान पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता की स्थिति में, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या संबंधित समुदाय का मुखिया ऐसे आयोजन को रद्द करेगा और अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करेगा।

4.4 आगे यह भी इंगित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा एक रूप अवधारणा नहीं है और इसकी भूमिका, शक्ति एवं कार्य राज्य दर राज्य भिन्न होते हैं और कई क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का अस्तित्व भी नहीं होता है।

4.5 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आयोग से पैरा 4.4 के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार/टिप्पणी करने का अनुरोध किया।

4.6 उपरोक्त संशोधन विधेयक पर प्रस्तावित सुझावो पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के समरूपता के विषय मे, आयोग ने सुझाव दिया कि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा पारित पंचायती राज अधिनियम के अंर्तगत परिभाषित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा शब्द को मान्यता दी जाए।

[After detailed discussion Commission agreed with the above amendment Bill. As regards the definition of Gram Panchayat/Gram Sabha, the Comission suggested that defination as given to the word Gram Panchayat/Gram Sabha under respective State Panchayti Raj Act/Law should be followed.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची नोट सं0 5	अस्थायी उपाय के रूप में सभी रिक्त पदों के विरूद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में प्रतिनियुक्ति/परामर्शकों/बाह्य स्रोत के व्यक्तियों की तैनाती के माध्यम से रिक्त पदों को भरना।
Agenda Item No. 5	**Filling up of vacant posts through Deputation /Engagement of Consultants/ Out - sourcing persons in NCST against all vacant post as temporary measure.**

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कार्यालय आदेश सं0 48011/2/2016–स्था. दिनांक 27.05.2016 के उप पैरा 2 (ii) में 50 प्रतिशत शेष पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि:–

> "लगभग 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति शामिल होंगे, सिवाय नियमित सेवा के (चाहे संयुक्त संवर्ग से या प्रतिनियुक्ति पर, किसी भी क्षमता में) और सभी बाह्य स्रोत के व्यक्ति चाहे एनआईसीएसआईसी के माध्यम से या अन्यथा"।

5.2 उक्त आदेश के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत प्रतिबंधित कर दी गई है। कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। आयोग में स्टाफ/कर्मचारियों की कमी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मे कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 128 है और वर्तमान मे रिक्त संख्या 56 (128-72=56) है।

5.3 वर्तमान मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य (तीनो सदस्य) नियुक्त है, और आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय उपयुक्त कर्मचारियों के बिना कार्य कर रहे है। अतः रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने का मुद्दा आयोग के विचारार्थ रखा गया ताकि आयोग सुचारू रूप से कार्य कर सके।

5.4 रिक्त पदों की रिक्तता से कार्य प्रभावित होने कारण रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने की आयोग ने स्वीकृति दी, ताकि अति महत्वपूर्ण कार्य शीघ्र संम्पन्न हो सके।

[In view of the fact that the work of the Commission is seriously affected due to vancay of the vacant posts, the Commission approved to increase percentage of filling the vacant posts from 50 precent to 80 percent, so that most important work could be expedited].

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची नोट सं0 6 **Agenda Item No. 6**	अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए सभी 5वीं अनुसूची क्षेत्र के राज्यों में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्थान मे, हैदराबाद (तेलंगाना), नागपुर (महाराष्ट्र), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) में एक, चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का सृजन एवं प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में लगभग 15 स्टाफ/कर्मचारी (कुल अतिरिक्त स्टाफ) के साथ **Creation of 4 new Regional Offices of NCST, one each at Hyderabad (Teleagana), Nagpur (Maharashtra), Shimla (Himachal Pradesh) and Ahmedabad (Gujarat) to ensure the presence of the Commission in all Fifth Scheduled Area States to safeguard the interest of the Scheduled Tribes with about 15 staff in each Regional Office (total additional staff)**

संविधान की पांचवी अनुसूची के अंर्तगत दस राज्यो मे अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, वह राज्य आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, राजस्थान तथा तेलंगाना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के छह क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर (राजस्थान), भोपाल (मध्य प्रदेश), रायपुर (छत्तीसगढ), रांची (झारखण्ड), भुवनेश्वर (ओडीसा) तथा शिलॉग (मेघालय) मे कार्यरत है।

6.2 अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षण के लिए सभी पांचवी अनुसूची क्षेत्र के राज्यों में आयोग की उपस्थिति सुनिश्चित करने की दृष्टिकोण से हैदराबाद (तेलंगाना), नागपुर (महाराष्ट्र), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) में प्रत्येक स्थान पर आयोग के चार अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन (2004–05 और 2005–06) में सिफारिश की गई है। इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कम से कम निम्नलिखित स्टाफ की आवश्यकता है–

क्र.स	पद का नाम	कुल अधिकारी/कर्मचारी (जिनकी आवश्यकता है)
1	निदेशक	4 (चारों कार्यालयों के लिए एक–एक)
2	सहायक निदेशक	4 (वही)
3	वरिष्ठ अन्वेषक	4 (वही)
4	अन्वेषक	8 (चारों कार्यालयों के लिए दो–दो)
5	निजी सहायक	4 (चारों कार्यालयों के लिए एक–एक)
6	कार्यालय अधीक्षक	4 (चारों कार्यालयों के लिए एक–एक)
7	प्रवर श्रेणी लिपिक	4 (वही)
8	अवर श्रेणी लिपिक	8 (चारों कार्यालयों के लिए दो–दो)
9	समूह 'घ'	8 (वही)
10	दफ्तरी	4(चारों कार्यालयों के लिए एक–एक)
11	चौकीदार	4(वही)
12	स्टाफ कार चालक	4(वही)
	योग	60

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6.3 आयोग के चार अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए, आयोग ने सहमति दी तथा यह भी निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित करे।

[The Commission recommended for establishment of 4 additional Regional Office of the Commission and it was also directed that proposal may be forwarded to the Ministry of Tribal Affairs for necessary action].

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 7 Agenda Item No. 7	दैनिक भास्कर समाचार पत्र, रायपुर संस्करण में दिनांक 29.05.2017 को प्रकाशित समाचार" जाति का पता लगाने के लिए बनाई गई कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना" शीर्षक के संदर्भ में। **News item published in Dainik Bhaskar, Hindi News Paper, Raipur edition dated 29.5.2017 titled "Committee constituted for enquiring Caste denied ST status of Ajit Jogi**

दैनिक भास्कर हिन्दी समाचार पत्र, रायपुर संस्करण में दिनांक 29.05.2017 को प्रकाशित समाचार" जाति का पता लगाने के लिए बनाई गई कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना" शीर्षक के संदर्भ में प्रेस क्लीपिंग आयोग में सज्ञांन मे आया। आयोग ने पत्र दिनांक 30.06.2017 व 03.07.2017 के द्वारा हाई पॉवर कमेटी रिपोर्ट की प्रति एवं रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसरण मे की गई कार्यवाही की सूचना भेजने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आग्रह किया। हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट एवं छत्तीसगढ राज्य सरकार द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित/अप्राप्त है।

7.2 उपरोक्त विषय पर आयोग ने विस्तृत विवेचना की तथा आयोग ने निर्देश दिया कि हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट तथा मामले मे राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना छत्तीसगढ राज्य सरकार से मंगवाई जाए।

7.3 अनुसूचित जनजातियो के शंकास्पद जाति प्रमाण पत्रो के विषय को आयोग ने गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि शंकास्पद अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रो के लिए राज्य सरकारो द्वारा गठित हाई पॉवर कमेटी/जांच कमेटी को अधिक शक्तियॉ प्रदान की जाएं ताकि और तत्परता से कार्यवाही संम्पन्न हो। जिससे असत्य प्रमाण पत्र को एक निर्धारित समय के अदंर निरस्त किया जा सके और सम्बन्धित व्यक्तियो के विरूद्ध दण्डात्मक तथा अन्य उचित कार्यवाही की जा सके। जिसके फलस्वरूप असत्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियो के विरूध कार्यवाही/सजा के प्रावधान का संदेश जाएगा।

[Regarding the suspicious/fake caste certificates of Scheduled Tribes, Commission viewed it is a serious problem and said more power should be given to High Power Committee/Scurutiny Committee constituted by State Governments for suspicious/fake Caste certificate of Scheduled Tribes, so that action may be taken expeditiously. The fake certificate/false certificate should be cancelled with in the prescribed time limit and punitive and other appropriate action may be taken against concerned persons. This will be serve at a message for those, who are getting fake certificates by fraudulent means].

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं. 8	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जारवा तथा अनुसूचित जनजाति पर यू–ट्यूब से वीडियो हटाने हेतु।
Agenda Item No. 8	**Removal of Videos on Jarawas and Tribals of Andaman & Nicobar Islands from You Tube.**

आयोग ने यू–ट्यूब पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहो की जारवास् तथा अन्य अनुसूचित जनजातियो के समुदायो से सम्बन्धित अनुचित वीडियो फिल्में/तस्वीरो पर संज्ञान लिया। यह वीडियो फिल्में/तस्वीरें यू–ट्यूब पर विभिन्न अंकितक पर उपलब्ध है जैसे हयूमन सफारीः आब्सर्बिग दि जारवास, इत्यादि लेकिन उनको नग्न, भददा एवं बेढंगा दिखाया गया है। उनको अच्छी स्थिति मे नही दिखाया गया है। यह वीडियो उनके ज्ञान के बिना उनके शील भंग करने के सदृश्य/समान है। जबकि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रावधान प्रवर्तन में हैं।

8.2 अंडमानीज (Andamenese), जारवास् (Jarawas), आँगेस (Onges), सेन्टनलीज (Sentinelese), निकोबारीज (Nicobarese) और शोम पेन्स (Shom Pens) को "अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहो (आदिवासी जनजाति सुरक्षण) विनियमन, 1956 (पीएटी) के द्वारा ''एबोरिजिनल ट्राइब'' के रूप में चिन्हित किया गया है। यह समुदाय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंर्तगत "अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहो मे अनुसूचित जनजाति के रूप मे अधिसूचित है। ग्रेट अंडमानीज (Great Andamenese), जारवास् (Jarawas), आँगेस (Onges), सेन्टनलीज (Sentinelese) और शोम पेन्स (Shom Pens) समुदायो को "विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह" (Particularly Vulnerable Tribal Group) के रूप मे भी चिन्हित किया गया। पीएटी में बाहरी लोगों से इन सभी समुदायों के संरक्षण का प्रावधान निहित है। पीएटी को समय–समय पर संशोधित किया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजाति सुरक्षण) संशोधन विनियमन, 2012 में आदिवासी जनजातियों से संबंधित विज्ञापन के माध्यम से पर्यटन को प्रोन्नत करने के लिए शास्ति के प्रावधान किए गए हैं।

8.3 जारवास तथा शोम्पेन अनुसूचित जनजातियो के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा ''अंडमान द्वीप समूह जारवा जनजाति के लिए नीति, 2004" तथा "ग्रेट निकोबार द्वीप के शोम्पेन जनजाति नीति, 2015" निर्मित की गई है जो अंडमान व निकोबार राजपत्र मे अधिसूचित है।

8.4 आयोग ने उक्त प्रकरण को अनुसूचित जनजातियो की अस्मिता के साथ भददा मजाक माना तथा निर्णय लिया कि यू–ट्यूब से तुंरत अनुचित वीडियो फिल्मे/तस्वीरे हटाने हेतु तथा लॉन्च करने वालों के विरूध कार्रवाई करने के लिए, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिवो और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाए। जिससे मामले मे उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। यू–ट्यूब को भी पत्र लिख कर अनुचित वीडियो फिल्मे/तस्वीरे तुंरत हटाने को कहा जाए।

आयोग ने सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रवास दिनांक 15–19 जून 2017 के प्रस्ताव के आधार पर, देश के उच्च/विद्वान

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सामाजशास्त्रियो एवं मानव–विज्ञानियो के साथ अडंमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजातियो के बिकास के विषय मे एक कार्यशाला का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की।

[Commission regaraded it as mockry against the diginity of Scheduled Tribes in the above case and it was also dicided that a letter should be written to the Secretaries, M/o Home Affairs, M/o External Affairs, M/o Tribal Affairs, M/o Information and Broadcasting and to the Chief Secretary, Andaman & Nicobar Islands for taking strict action against those who upload inappropriate video films/photos on You-Tube. A letter should also be written to the You-Tube for deleting inappropriate video films/photos immediately].

Commission give its consent on the Secretary, NCST for organising a wokshop with eminent Socialiogist and Anthropologist regarding development of Tribals of Andaman & Nicobar Islands.

(नन्द कुमार साय)

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi